न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 16 / 2017

प्रार्थी:--	बनाम	अप्रार्थीगण:--
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		1.श्री चेतनप्रकाश पुत्र श्री श्यामलाल, निवास स्थान–कचहरी के सामने भीनमाल,जिला जालोर, मैसर्स–श्यामजी एच मिठाईवाले, कचहरी के सामने,भीनमाल,जिला जालोर, मो.नं.9950293523 2.श्री बसन्तकुमार अग्रवाल पुत्र प्रहलादनाथ,अग्रवाल,निवास स्थान –भाघ बस्ती,भीनमाल, जिला जालोर मैसर्स–अग्रवाल टी कम्पनी,प्रताप कॉलोनी,पुरानी बिजलीघर के पीछे, भीनमाल,जिला जालोर मो.नं.94144[illegible]581 3.श्रीमति कांतादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद, निवास स्थान–नेहरू नगर सुमेरपुर, जिला पाली–306902 मैसर्स–शिवानी मार्केटिंग,[illegible]माता मंदिर रोड,चौधरी कॉलोनी सुमेरपुर,जिला पाली। 4.ASHISHKUMAR AGARWAL S/O HARIRAM AGARWAL (Nominee) BADA BAZAR BIKANER (RAJ)334001 M/S NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD F-210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER -334006(RAJ) PH.NO- 0151-5151900

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(I I) एवं धारा 51 के तहत्

उपस्थिति :-
1.श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर, प्रार्थी सरकार की ओर से उपस्थित।
2.श्री निम्बाराम डांगी ,अभिभाषक, अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3.अप्रार्थी सं.4 की ओर से श्री महिपालगिरी,अभिभाषक,अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 22.4.2019

1. प्रार्थी श्री गजेन्द्रकुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से 19.6.2018 तक सम्पन्न किया है और प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2) कार्मिक/ क-4/ 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनरथ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10.2016 को 12.30 पी.एम पर मैसर्स-श्यामजी एच मिठाईवाले भीनमाल, जिला जालोर पर पहूंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम चेतनप्रकाश पुत्र श्यामलाल बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान के अन्दर,काउन्टर पर बेसन के लड्डू में 500 ग्राम पैकिंग के लगभग 20 पैकेट आमजनता को विकय के लिए रखे हुए थे, मिलावट का सन्देह होने पर दुकान से 500ग्राम पैकिंग के चार पैकेट

वास्ते नमूना जांच खरीदे, जिसकी कीमत के विक्रेता को 880 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान दीपककुमार पुत्र महावीरप्रसाद,भीनमाल व जानमोहम्मद,वाहन चालक,कार्यालय हाजा ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी चेतनप्रकाश ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति अप्रार्थी / विक्रेता श्री चेतनप्रकाश को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 500 ग्राम के चार पैकेट बेसन के लड्डू को लिया व लेबल तैयार किये व लेबल पर डी.ओ. के कोड ओ–685 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये । चारो नमूना पैकेटो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं.ओ–685 नियमानुसार चारो नमूना पैकेटो पर नीचे उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को प्रार्थी ने अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक / एफएसएसए / 2016 / 31 दिनांक 31.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1254 / एक्ट / 2016 / 1286 दिनांक 3.11. 2016 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड का

होना पाया गया। श्री चेतनप्रकाश द्वारा बेसन के लड्डू 500 ग्राम पैकिंग को बसन्तकुमार पुत्र प्रहलादनाथ, अग्रवाल,मैसर्स अग्रवाल टी कम्पनी ,प्रतापकॉलोनी,पुरानी बिजलीघर के पीछे भीनमाल ,जिला जालोर से खरीद करना बताया तथा श्री बसन्तकुमार पुत्र प्रहलादनाथ ने खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू 500 ग्राम पैकिंग को श्रीमति कान्तादेवी ,मैसर्स–शिवानी मार्केटिंग सुमेरपुर, जिला पाली से खरीदना बताया तथा श्रीमति कान्तादेवी ने उक्त खाद्य पदार्थ को मैसर्स नवसारी फुड प्रोडक्ट प्रा.लि.बीकानेर (मैन्यूफेक्चरर) से खरीदना बताया है।अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने **पत्र** कमांक / एफएसएसए / स्वीकृति / 2017 / ओ–685 / 3758 दिनांक 28.7.2017 **के द्वारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में सबस्टण्डर्ड बेसन के लड्डू का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–685की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए / स्वीकृति / 2017 / ओ–685 / 3758 दिनांक **28.8.17** आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 18.9.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 24.10.17 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी सं.1 से 3 की ओर से श्री निम्बाराम डांगी, वकील व अप्रार्थी सं.4 की ओर से महिपाल गिरी ,वकील,उपस्थित आये। अप्रार्थीगण वकील को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया।

5. अप्रार्थी सं.1 से 3 के वकील ने दिनांक 29.6.18 को जवाब पेश किया कि अप्रार्थी सं.1, चेतनप्रकाश भीनमाल,जिला जालोर में मैसर्स श्याम जी एच

मिठाई वाले, कचहरी के सामने भीनमाल , जिला जालोर के नाम से फर्म का संचालन करता है, उक्त फर्म का मालिक चेतनप्रकाश है तथा चेतनप्रकाश द्वारा उक्त दुकान पर खुदरा व्यापार करता है जो उक्त माल आसपास के कस्बो या भीनमाल से खरीदता है, उसी प्रकार से बैचा जाता है, बाहरी रूप से किसी भी प्रकार से विनिर्माण या पैकिंग नही की जाती है। अप्रार्थी सं. 2-बसन्त कुमार अग्रवाल, भीनमाल, जिला जालोर में मैसर्स अग्रवाल टी कम्पनी, प्रताप कॉलोनी,पुरानी बिजलीघर के पीछे भीनमाल, जिला जालोर खुदरा थोक में व्यापार व्यवसाय करता है ,उक्त फर्म द्वारा उक्त माल विभिन्न कम्पनियों के मार्फत या हॉलसेल कम्पनी डिस्ट्रीब्युटर से खरीद करता है, उसी प्रकार बैचा जाता है, बाहरी रूप से किसी भी प्रकार से विनिर्माण या पैकिंग नही की जाती है।अप्रार्थी सं.3-श्रीमति कांतादेवी मैसर्स शिवानी मार्केटिंक बाणमाता मन्दिर चौधरी कॉलोनी, सुमेरपुर जिला पाली(राजस्थान) में विभिन्न कम्पनियों की एजेन्सी ले रखी है जिसमें अप्रार्थी सं. 4 से अधिकृत हैं तथा अप्रार्थी सं.4 से विभिन्न प्रकार से माल खरीदकर सुमेरपुर व सुमेरपुर के आसपास के गांवो , करबो, जिलों में माल की सप्लाई की जाती है,अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा जिस किसी दुकानदार ,व्यापारी को माल सप्लाई किया जाता है, जिस पैकिंग या जिस रूप में आता है,उसी प्रकार विक्रय बैचा जाता है, बाहरी रूप से किसी भी प्रकार से विनिर्माण या पैकिंगनही की जाती है। अप्रार्थीगण सं.1,2,3 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया हैं ,इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथनापत्र पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी सं.3-श्रीमति कांतादेवी ,मैसर्स शिवानी मार्केटिंग सुमेरपुर के द्वारा अप्रार्थी सं.4-आशिष कुमार अग्रवाल ,मैसर्स नकोड़ा फुड प्रोडक्ट प्रा.लि. बीकानेर से माल खरीद किया गया था तथा माल खरीद करने के उपरान्त अप्रार्थी सं.4 के द्वारा अप्रार्थी सं.3 के नाम से बिक्री बिल जारी किया गया था।प्रार्थी द्वारा जो रिपोर्ट बनायी गयी है वो बिल्कुल मनगढत एवं अप्रार्थीगण को फंसाने के लिए बनायी गई है, उसमें गवाह कहां का निवासी है, क्या करता है,यह प्रार्थी को जानकारी नहीं हैं मौका फर्द में बेसन के लड्डू की सम्पूर्ण डिटेल जैसे बैच नम्बर,निर्माण दिनांक,एक्सपायरी दिनांक ,निर्माता कम्पनी का नाम आदि कोई वर्णन नही है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना क्यों व किस प्रकार सब स्टेण्डर्ड स्तर का हो , यह भी अंकित नही है। अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की जानकारी नही है कि नमूना लेने की क्या प्रकिया है।अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी सं.4 के वकील ने किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नही किया गया है।

6. सरकारी साक्ष्य सं.1(प्रार्थी)–श्री गजेन्द्रकुमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिनांक 19.2.2019 को बयान लिये गये, बयान में बताया कि बेसन के लड्डू नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। शेष सरकारी गवाह,गौण होने से साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

7. प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.1से 3 की बहस सुनी गई, प्रार्थी ने अपने परिवाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बेसन के लड्डू नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया जाने से अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व प्रार्थी का परिवाद खारिज करने का निवेदन किया।

8. बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं.3की फर्म मैसर्स शिवानी मार्केटिंग सुमेरपुर से अप्रार्थी सं. 2 की फर्म अग्रवाल टी कम्पनी भीनमाल द्वारा लड्डू खरीदने का बिल नं. 1878 दिनांक 8.10.16की फोटो प्रति पेश हुई है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं.4 की फर्म–नवहारी फुड प्रोडक्ट प्रा.लि.बीकानेर से अप्रार्थी सं.3 की फर्म–शिवानी मार्केटिंग सुमेरपुर द्वारा बेसन के लड्डू का बिल (इनवॉइस नं. आर–1588 दिनांक 4.10.2016) पेश हुआ है। अप्रार्थी सं.3 की फर्म द्वारा अप्रार्थी सं.2 की फर्म को लड्डू बैचने का बिल पेश हुआ है उसमें केवल लड्डू शब्द अंकित है ,बेसन के लड्डू शब्द अंकित नहीं हैं। अप्रार्थी सं.2 की फर्म द्वारा अप्रार्थी सं.1 की फर्म को माल बैचने का कोई बिल प्रस्तुत नही हुआ है। हालांकि अप्रार्थी सं.1 से 3के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र दिनांक 29.6.18 में बताया कि बेसन के लडडू अप्रार्थी सं.1 की फर्म द्वारा अप्रार्थी सं.2 की फर्म से खरीदना बताया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.4 की फर्म का माल (बेसन के लड्डू)अप्रार्थी सं.3 की फर्म को व अप्रार्थी सं.3 की फर्म द्वारा अप्रार्थी सं.2 को बैचान किया गया है तथा अप्रार्थी सं.2 की फर्म द्वारा अप्रार्थी सं.1को बैचान किया गया है जो अप्रार्थी सं.1से 3 के वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.6.18(प्रस्तुत दिनांक 29.6.18) से स्पष्ट है। उपरोक्तानुसार अप्रार्थी सं.1 से 4 द्वारा सब–स्टेण्डर्ड बेसन के लड्डू का विक्रय किया जाना पाया जाता है। अतः परिवाद में वर्णित तथ्यों साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/1254/एक्ट/2016/1286 दिनांक 3.11.2016 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.1 से लिया गया बेसन के लड्डू का नमूनाSub standard पाया गया।चूंकि अप्रार्थी सं.1 से 4 द्वारा

सबस्टेण्डर्ड बेसन के लड्डू का विक्रय किया जाना पाया जाता है जिसके लिए अप्रार्थीगण सं.1से 4 दोषी है। अतः अप्रार्थीगण सं.1 से 4 द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी सं.1 से 4 पर कमशः 15000/-, 15000/-, 15000/-,15000/- रूपये ,कुल अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी सं.1 से 4 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड- "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04--लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार निर्णय एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.4.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd. 22/4/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

कमांक/ दिनांक 22.4.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर
4.श्री चेतनप्रकाश पुत्र श्री श्यामलाल, निवास स्थान-कचहरी के सामने, भीनमाल, जिला जालोर मैसर्स श्यामजी एण्ड मिठाई वाले, कचहरी के सामने, भीनमाल, जिला जालोर मो.नं.[illegible] 2.श्री वसन्तकुमार अग्रवाल पुत्र प्रहलादनाथ,अग्रवाल,निवास स्थान -माघ बस्ती,भीनमाल, जिला जालोर,मैसर्स-अग्रवाल टी कम्पनी,प्रताप कॉलोनी,पुरानी बिजलीघर के पीछे, भीनमाल,जिला जालोर मो.नं.9414[illegible]581 3.श्रीमति कांतादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद,निवास स्थान-[illegible] नगर सुमेरपुर, जिला पाली-306902,मैसर्स--शिवानी मार्केटिंग,वानमाता मंदिर रोड,[illegible] कोलोनी सुमेरपुर,जिला पाली। मो.नं. 9414123403 4.ASHISHKUMAR AGARWAL S/O HAR RAM AGARWAL (Nominee)BADA BAZAR BIKANER (RAJ)334001M/S NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD F-210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA BIKANER - 334006(RAJ)PH NO- 0151-5151900

S.d. 22/4/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.06 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: